न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.
(पी.ए.) एक्ट, सिद्धार्थनगर।

उपस्थितः–त्रिभुवन नाथ, (एच0जे0एस0)।

UPSD010011032026

Criminal Misc. Cases/87/2026

शान्ती पत्नी गौरीशंकर,
साकिन–हटवा बुजुर्ग, थाना–भवानीगंज, जनपद सिद्वार्थनगर।

–प्रार्थिनी/आवेदिका

बनाम

1–मनकर पत्नी घिराऊ लाल मौर्या
2–शीलम मौर्या पत्नी रामकैशाल मौर्या उर्फ लल्लू,
3–राम बहादुर पुत्र घिराऊ लाल मौर्या
4–किरन पुत्री घिराऊ लाल मौर्या
साकिनान–हटवा बुजुर्ग, थाना–भवानीगंज जनपद सिद्वार्थनगर।

––विपक्षीगण

अन्तर्गत धारा–175(3) बी0एन0एस0एस0
थाना–भवानीगंज, जनपद–सिद्धार्थनगर।

दिनॉकः–07–07–2026

निस्तारण प्रार्थना पत्र धारा–175(3) बी0एन0एस0एस0

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थिनी शान्ती की तरफ से धारा–175(3) बी0एन0एस0एस0 के तहत इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी शान्ती पत्नी गौरीशंकर, साकिन–हटवा बुजुर्ग, थाना–भवानीगंज जनपद सिद्वार्थनगर की निवासिनी है तथा जाति (चमार) की महिला है। प्रार्थिनी अपने सहन भूमि में सूखा कण्डा जमा कर रखा था जिस पर घिराऊ लाल मौर्या के घर के लोग अपने मकान के छत पर रखे हुए पानी की टंकी दिनॉक 07–3–2026 को शाम करीब 7 बजे गिराने लगे जिस पर प्रार्थिनी का सूखा हुआ कण्डा भीग गया और जलाकर खाना बनाने लायक नहीं रह गया। इस पर प्रार्थिनी की पुत्रवधू रीता टंकी से गिरते पानी को बन्द करने के लिए कहने घिराउ लाल मौर्या के घर गयी जिस पर मनकर पत्नी घिराऊ लाल मौर्या मेरी बहू को गाली देते हुए कहा कि चमाईन की जाति मेरे पड़ोस में बस गयी है रोज रोज कुछ न कुछ किच किच करती रहती है आज रोज का मामला ही खत्म कर देती हूँ यह कहते हुए उसने अपने लड़के राम बहादुर को पुकारा इस पर राम बहादुर, शीलम मौर्या पत्नी राम कैलाश मौर्या उर्फ लल्लू, किरन पुत्री घिराऊ लाल मौर्या घर मे से निकल कर आये और गाली देते

हुए मारने को दौड़ाये। प्रार्थिनी की बहू भागकर घर मे घुस गयी तो सभी विपक्षीगण प्रार्थिनी के घर में घुसकर नीच चमाईन चमरकट्टिन करते हुए भददी भददी मॉ बहन की गाली देते हुए लात मूका डण्डा से मारने लगे। मौके पर प्रार्थिनी की लड़की निशा देवी बहु मन्जू देवी तथा वह खुद रीता को बचाने को दौड़े जिसमें उसकी लड़की निशा देवी ओर उसे भी चोटे आयी। विपक्षी राम बहादुर के खींचने से उसकी बहुत रीता का ब्लाऊज भी फट गया और वह अर्धनग्न हो गयी। किरन ने प्रार्थिनी की बहू मंजू देवी के नाक का सोने का खील खींच लिया। हमलोगों के गुहार व शोर गुल को सुनकर गॉव के फरमान अली, चरनपाती व अन्य लोग आ गये जिन्होने घटना को देखा। लोगों के आने से विपक्षीगण गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए अपने घर चले गये। प्रार्थिनी ने घटना की सूचना थाने पर दिया परन्तु कोई कार्यवाही नही किया गया। तब घटना की सूचना रजिस्टर्ड डाक से पुलिस अधीक्षक सिद्वार्थनगर को भेजा। पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न होने पर माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि थाना मुकामी को आदेशित किया जावे कि विपक्षीगण/अभियुक्तगण के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर विवेचना कराने की कृपा करें।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

थाना भवानीगंज की आख्या के अनुसार इस प्रकरण के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

पत्रावली के सूक्ष्म विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि इस घटना के सम्बन्ध में प्रार्थिनी व उसके साक्षीगण को घटना की पूर्ण जानकारी है। प्रार्थिनी के पास घटना के पर्याप्त साक्षी उपलब्ध हैं, जैसा कि प्रार्थिनी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लिखित किया है। इस मामले में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता, जिसके सन्दर्भ में पुलिस से विवेचना कराया जाना आवश्यक हो। प्रार्थिनी बिना पुलिस की सहायता के भी इस मामले का संचालन स्वयं परिवाद के रूप में कर सकती है। अतः ऐसी स्थिति में मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **क्रिमिनल मिसलीनियस अप्लीकेशन नम्बर–9297/07 सुखवासी बनाम उ0प्र0 राज्य 2008–1–ए0सी0आर0 पेज–170 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जोसेफ उर्फ विश्वेसरानन्द व अन्य बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरिसाक्षी 2001, एल0सी0आर0 पेज–320** के मामले में प्रतिपादित विधिक सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में इस मामले को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

आवेदिका शान्ती का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–175(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो।

पत्रावली वास्ते बयान परिवादिनी अन्तर्गत धारा—223 बी0एन0एस0एस0 दिनांक—08—08—2026 को पेश हो।

दिनॉकः—07.07.2026

(त्रिभुवन नाथ)
अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश,
एस0सी0/एस0टी0(पी0ए0) एक्ट,
सिद्धार्थनगर।
J.O. Code UP-6450

Digitally signed by Tribhuwan Nath
Date: 2026.07.07 17:36:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court